रूपसिंह वगैरा बनाम लैण्ड होल्डर
136 L.R. Act

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	29-5-15 पत्रावली आज लोक अदालत में कैम्प वाढकलां पर पेश हुई। प्रार्थीगण रूपसिंह, सुरज्ञान, बन्तो उपस्थित हैं। तहसीलदार गंगापुर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार गंगापुर ने अपनी रिपोर्ट में खाता सं० 248 ग्राम बिदरखा में रामजीलाल के स्थान पर रामलाल दर्ज करने की अनुशंषा की है। प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र 136 L.R. Act स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	रूपसिंह (अंगूठा निशान) नि० सुरज्ञान (अंगूठा निशान) नि० बन्तो

नम्बर व तार
अहकाम जो
हुक्म की ताम
में जारी हु

निर्णय न्यायालय श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला सवाईमाधोपुर)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
24 / 2014	07.07.2014	29.05.2015

1. रूपसिंह पुत्र रामलाल, प्रजापत निवासी विदरखॉ तह0 गंगापुर सिटी
2. सुरज्ञान पुत्र रामलाल, प्रजापत निवासी विदरखॉ तह0 गंगापुर सिटी
3. बत्तो पत्नी रामलाल, प्रजापत निवासी विदरखॉ तह0 गंगापुर सिटी

—— प्रार्थीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः— श्री रूपसिंह, सुरज्ञान, बत्तो प्रार्थीगण
लैंड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि स्व0 रामलाल की भूमि ख0न0 773 रकबा 33 एयर सम्पूर्ण रकबा, ख0न0 474 रकबा 31 एयर हिस्सा 1/4 ग्राम विदरखा मे स्थित है। रामलाल का दिनांक 6.11.2011 को देहान्त हो चुका है। इसी अनुसार ख0न0 474 मे राजस्व जमाबंदी मे दर्ज है। अन्य सरकारी कागजात मे भी प्रार्थी संख्या 1व 2 के पिता का नाम रामलाल दर्ज है। परंतु ख0 न0 773 मे गलती से रामलाल के स्थान पर रामजीलाल दर्ज कर दिया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ख0न0 773 खाता संख्या 248 ग्राम विदरखा मे प्रार्थीगण न0 1 व 2 के पिता का नाम रामजीलाल को दुरूस्त कर रामलाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलव किया गया।

अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के जबाब में अंकित किया है कि खाता संख्या 248 मे खातेदारी रामजीलाल पुत्र विशन्या जाति कुम्हार के नाम दर्ज है। ग्राम वासियो ने बताया कि रामलाल को ग्राम विदरखा मे रामजीलाल भी कह देते थे। अतः खाता संख्या 248 मे रामजीलाल के स्थान पर रामलाल दर्ज किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर..............................

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 खाता संख्या 49, खाता संख्या 248, फोटोकॉपी नरेगा कार्ड रामलाल पुत्र विशन्या प्रजापत, फोटोकॉपी परिवार कार्ड रामलाल, फोटोकॉपी पहचानपत्र रामलाल पेश किये है।

प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 के खाता संख्या 248 में प्रार्थीगण के पिता का नाम रामजीलाल अंकित है। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण के पिता का नाम रामजीलाल के स्थान पर रामलाल दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है। पत्रावली पर उपलब्ध अन्य अभिलेख के अनुसार भी प्रार्थीगण के पिता का नाम रामलाल ही होना पाया जाता है। अतः उपरोक्त अभिलेख के अनुसार प्रार्थीगण खाता संख्या 248 संख्या 2069 से 2072 ग्राम विदरखा में रामजीलाल के स्थान पर रामलाल दर्ज किये जाने के अधिकारी है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम विदरखॉ की जमाबंदी सं0 2069 से 2072 के खाता संख्या 248 में दर्ज नाम रामजीलाल पुत्र विशन्या जाति कुम्हार के स्थान पर रामलाल पुत्र विशन्या जाति कुम्हार दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करने हेतु निर्णय की एक प्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को पालनार्थ प्रेषित की जावे ।

पत्रावली फेसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी